परिपत्र सं. 06/2026

फा. सं. 300176/3/2026-आईटीए-I
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(5) के प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अंतर्गत अनुमोदन हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र सं. 10कख के दाखिलीकरण में देरी के लिए माफी - संबंधित

आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 80छ को कुछ निधियों तथा संस्थाओं को दिए गए दान के संबंध में कटौती हेतु प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 80छ(5) के प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, धारा 80छ(5) के अंतर्गत अनुमोदित ऐसी निधि या संस्था, जिसका अनुमोदन समाप्त होने वाला है, को उक्त अवधि की समाप्ति से कम से कम छह महीने पूर्व इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र सं. 10कख में आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2. बोर्ड को ऐसी कुछ निधियों एवं संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका अनुमोदन 31.03.2026 को समाप्त होने वाला था तथा जो अधिनियम की धारा 80छ(5) के प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रपत्र सं. 10कख देय तिथि 30.09.2025 तक प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

यह अभ्यावेदन किया गया है कि निर्धारित आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी वास्तविक कारणों तथा अन्य परिस्थितियों के कारण हुई, जिससे दान प्राप्त करने के संबंध में निधियों एवं संस्थाओं को वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ा।

3. बोर्ड द्वारा इस विषय का परीक्षण किया गया है। ऐसी निधियों एवं संस्थाओं की वास्तविक कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिनियम, 2025 की धारा 536(2) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उन मामलों में प्रपत्र सं. 10कख दाखिल करने में हुई देरी को माफ करता है, जिनमें निर्धारित आवेदन प्रपत्र सं. 10कख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से 01.10.2025 से 31.03.2026 के बीच प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्राधिकारी प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त ऐसे आवेदनों का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करेंगे तथा 31.12.2026 तक या उससे पहले आदेश पारित करेंगे।

4. इसके अतिरिक्त, जहाँ 01.10.2025 से 31.03.2026 के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत प्रपत्र सं. 10कख में आवेदन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि तक केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि वह 30.09.2025 की निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्रस्तुत किया गया था तो वहाँ ऐसे मामलों में देरी को माफ किया हुआ माना जाएगा। क्षेत्राधिकारी प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त ऐसे आवेदनों का गुण-दोष के आधार पर निपटान करेंगे तथा आदेश 31.12.2026 तक पारित करेंगे।

5. इस परिपत्र में निहित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे अधिनियम की धारा 80छ(5) अथवा आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 133(1)(ख), जो भी स्थिति हो, के अंतर्गत अनुमोदन का कोई स्वतःअधिकार प्राप्त हो जाता है।

3. हिन्दी संस्करण जल्द जारी किया जाएगा।

(हरदेव सिंह)

अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी

निम्न को प्रतिलिपि :

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/वित्त मंत्री के विशेष कार्याधिकारी/ राज्य मंत्री (राजस्व) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (राजस्व) के विशेष कार्याधिकारी
2. राजस्व सचिव के प्रधान निजी सचिव
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी एवं सभी सदस्य सीबीडीटी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक
5. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली
6. सभी संयुक्त सचिव/आयुक्त, सीबीडीटी
7. वेब प्रबंधक, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, https://incometaxindia.gov.in पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली
9. महासचिव, आईआरएस संघ/महासचिव, आईटीजीओए/अखिल भारतीय आयकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ/आयकर कर्मचारी महासंघ (आईटीईएफ)
10. संयुक्त आयकर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ, www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोड करने हेतु
11. गार्ड फाइल

अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी